

[شری رشید مسعود (سہ ماہی، 1980ء)]

سیدکو صلاحیت میں نام اس میں
[سب سے پہلے ہے]

अध्यक्ष महोदय : मैंने तीन दफा आप का नाम पुकारा था ।

श्री रसोद नसूद : मैंने सुना नहीं ।

شری رشید مسعود : میں نے
سنا نہیں -

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप का नाम लिया था ।

श्री रसोद नसूद : मैंने तो इतिहास पढ़ा-
आऊट भी नहीं किया था क्योंकि मुझे वह
पढ़ना था ।

[شری رشید مسعود : میں نے تو

اس لئے رات بھر بھی نہیں کہا تھا
کہونکہ مجھے یہ پڑھنا تھا -]

MR. SPEAKER: All right, he says he has not walked out.

12.20 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED STRANDING OF 400 INDIAN SEAMEN AT BASRAH PORT SINCE OUTBRAK OF IRAN-IRAQ WAR

SHRI RASHEED MASOOD (Saharanpur): Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon—

“The reported stranding of about 400 Indian crewmen aboard 22 mechanised vessels of India at Basrah port since the outbreak of Iran-Iraq war and the measures taken by the Government to bring them back.”

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : चेम्बर में आकर बात कीजिए, कार्लिंग अटेंशन यहां डिस्कस नहीं होती है ।

12.21 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARSIMHA RAO): Sir,

Following the outbreak of the Iran-Iraq conflict on September 22, 1980, three Indian ships and 22 mechanised sailing vessels are presently stranded in the war zone. After earlier evacuations, the number of remaining crewmen presently stranded is 402. In addition, a large number of foreign ships have also been stranded.

The Government of India are fully seized of the problems caused by the stranding of vessels and crewmen in the war zone. The Director General of Shipping has been in touch with the owners of the ships, as well as with the All India Sailing Vessels Association, in order to arrange the evacuation of the crewmen. As early as October 7, 1980, the owners of the sailing vessels were advised by the Director General of Shipping to repatriate their crew. Approximately 100 seamen have since been repatriated.

Sir, I am adding to the information that has been sent already in the written statement. This is based on the latest report we got this morning.

We have since received from the Director General of Shipping precise figures of seamen who are stranded and those who have been repatriated from the ports of Basrah and Fao. I had mentioned the figure of repatriated of seamen as approximately 100. The actual figures are as follows: from the more disturbed port known as Fao, 88 crew members pertaining to six sailing vessels that were stranded have already been repatriated. Another 110 members of the crew are now in the process of being repatriated both from Basrah and Fao. The total number of crew members thus either already repatriated or in the process of being repatriated is 198.

[Shri P. V. Narasimha Rao]

Other shipowners have preferred to wait and watch, in the hope that the situation would improve sufficiently to enable the vessels and the crewmen to sail out together.

Some seamen of the sailing vessels are still in the zone only because the owners of the vessels, despite our advice, have been unwilling to take action for their repatriation. Despite the hostilities taking place during the last several months, there have been no reports of loss of life or injury to Indian seamen.

Our Consulate in Basrah has been in regular contact with Iraqi authorities and has taken all possible steps for the protection and welfare of the crewmen. Some reports had also been received by us that the Indian crew may be facing financial difficulties. On immediate enquiries made by us, we were assured by our Consul General in Basrah that the Indian crew were being well looked after. We have told the Consul General that in case any finances are required Government will assist the shipowners to make necessary financial remittances. The Director General of Shipping has instructed our Consul General in Basrah to repatriate at Government expense, any seamen who wishes to be repatriated or who, in the opinion of the Consul General would require repatriation. We have recently obtained the agreement of the Iraqi authorities to waive the fine of 100 dinars per head imposed earlier on our seamen seeking exit visas.

The owners of the sailing vessels have suggested that they should be permitted to sail their vessels out at high tide under their own risk. However, even though the vessels are of shallow draught, our Consulate has advised that it would be highly unsafe to attempt the passage before the channel is cleared of mines. There is also no guarantee that the vessels may not come under fire during the passage. The presence of bridges and other obstructions across the Shatt-al-Arab waterway makes it also hazardous to attempt a passage at this time.

This point has been conveyed to the owners of the sailing vessels. The owners have again been advised that they should initiate action for the repatriation of the remaining seamen.

The Special Emissary of the U.N. Secretary-General, Mr. Olaf Palme, has also been engaged in active efforts to clear the Shatt-al-Arab waterway of ships stranded in the wake of the conflict. He has sought the assistance of the International Red Cross in this regard. The Government of India have also been in direct touch with the Inter-National Red Cross.

Sir, as the House is aware, the Government of India is engaged, jointly with some other countries, in efforts directed towards bringing about a solution to the vexed problem between Iraq and Iran. The future of the vessels stranded in the Shatt-al-Arab is linked to this whole problem. I can only assure the House that Government will spare no efforts to ensure the safety of the stranded seamen and the repatriation of those who desire to be repatriated.

श्री रशीद मसूद : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब का बयान देखकर अफसोस भी होता है और ताज्जुब भी। ताज्जुब इस बात का है कि शायद हमारी हुकूमत ने यह उमूल बना लिया है कि जिस तरीके की इन्फार्मेशन सप्लाय कर दी जाएगी, उसको उसी तरीके से पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाएगा, इसके अलावा कोई कोशिश नहीं की जाएगी कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।

इस बयान को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें बहुत सी बातें सैल्फ-कंट्रोल डिक्ट्री हैं। एक हिस्सा पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि बहुत मदद दी जा रही है, जो लोग 7-8 महीने से बसरा में फंसे हुए हैं और दूसरा पैराग्राफ

पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जहां से चालू हुए थे, वहीं के वहीं हैं, कोई मुधार नहीं हुआ है। इसको पढ़ने से यह अंदाज होता है कि हमारी हुकूमत उन लोगों को जान के मुतालिक इतनी फिक्रमंद नहीं है, जितनी बेसन ओनर्स, जो जहाज के मालिक हैं, उनके लिए फिक्रमंद है, ताकि उनके जहाज तबाह न हों।

एक बात काबिले तारीफ है, इसके लिए मिनिस्टर साहब की तारीफ करनी होगी कि जो जहाज कम्पनियां अपनी ओनर-रिस्क पर जहाज निकालना चाहती थीं, जिनमें हमारे आदमियों का भी रिस्क था, इसके लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उन जहाज मालिकों को मदद को जाए और उनको यहां से लाया जाए, इसके बारे में मिनिस्टर साहब ने क्या किया? हमारी सरकार बैंकों का नेशनलाइजेशन तो कर सकती है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए "मार्शिन" का नेशनलाइजेशन तो कर सकता है, लेकिन इतने आदमियों की जान बचाने के लिए बैसन ओनर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, कोई धमक नहीं डाल सकते। अभी तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने कहा कि उन लोगों को बराबर खबर रख रहे हैं, प्रोटेक्शन बैल्फेयर आफ ह्यूमन किया जा रहा है। बैल्फेयर क्या हो रहा है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक खत जो वहां के लीडर आफ पियन ने अपने मालिक को लिखा है वह मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। यह हिन्दुस्तान टाइम्स है 27 मार्च का, इसमें लिखा है कि:—

"We are starving here and the danger of being bombed looms large over our heads."

यहां आप कह रहे हैं कि वे बिल्कुल-महफूज हैं, उनको सभी चीजें दी जा रही

हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वे लिख रहे हैं कि हम फाके की हालत में आ गए हैं। मैं नहीं समझता कि दोनों में कौन-सो चीज सही है। आप सही कहते हैं या ये सही कहते हैं, लेकिन मुझे लज्जुबा है, जब मैं 2-3 बार बाहर भेजा गया हूँ, वहां पर मैंने देखा है कि हमारी जो एंबेसीज हैं, उनकी तरफ से हमारे नेशनल्स को सही तरीके से नहीं देखा जाना, कोई इंटरैस्ट नहीं लिया जाता। इसलिये मुझे यकीन है कि यह खत ज्यादा सही है वनिस्पत उस इन्फॉर्मेशन के जो कि आपको सप्लाई को गई है। लिहाजा आप इसको देखिए, मामला यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं।

आपने कहा है कि ज्यादातर लोग आ गए हैं, रिपोर्टिंट कर दिए गए हैं और थोड़े से रह गए हैं।

"...Some seamen of sailing vessels are still in the zone only..."

इसमें आपने "सम" शब्द का प्रयोग करके यह जाहिर करने की गणिश की है कि कुछ आ गए हैं। आपने ऊपर के पैराग्राफ में बताया कि 81 आदमी आ गए हैं 483 में से और अब आप कह रहे हैं कि 86 आ गए हैं, शायद 5 और आ गए हों, आपकी जानकारी सही हो, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 81 आदमी आए हैं। अगर 483 में से 86 आ भी गए हों तब भी बाकी तो फंसे हुए हैं। वे लोग तो जित हालत में होंगे, लेकिन, उनके घरवालों की यहां क्या हालत है इसको आप देखिए। यहां यह चल रहा है कि 7 महीने से हम यह बात चला रहे हैं, 7 अक्टूबर से यह बात चल रही है। कितने दिन में यह मामला हल हो जाएगा? चार साल में पांच साल में या छः साल

[श्री रशीद मसूद]

में? जब यह गवर्नमेंट रहती है तब तक क्या यह हल हो जाएगा? उन लोगों का क्या होगा जो बेचारे सफर कर रहे हैं, साइकोलोजिकल तौर पर जो बेचारे खत्म हो गए हैं, जिन के दिमाग में हर वक्त फिक्क लगा रहता है और जिन के घर वाले भी परेशान रहते हैं?

यह भी कहा गया है कि हमारे लोग ही फंसे हुए नहीं हैं।

"A large number of foreign ships have also been stranded."

हमारा मतलब किसी दूसरे मुल्क वालों से नहीं है। उनके कितने शिप हैं इसमें हमें दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी हमारी सब से ज्यादा अपने यहां के लोगों में होनी चाहिये। वैसलज का क्या होता है वह उनके मालिक जानें। इसमें हमें पड़े रहना नहीं चाहिये कि हालात नार्मल हो जाए और वैसलज के साथ वे भी आ जाएं। वैसलज का कुछ भी हो यह उनके मालिक जानें। लेकिन इन लोगों को लाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं।

आपने यह भी कहा है कि आपने काउंसिल जनरल को इंस्ट्रक्शंस दी है कि जो लोग आना चाहते हैं उनको लाएं। लेकिन मेरी इत्तिला के मुताबिक अभी तक उनकी कोई मदद नहीं हो रही है। यह चीज 27 मार्च के इस अखबार में भी छपी है और दूसरे अखबारों में भी छपी है। इसमें भी आपने यह रखा है कि काउंसिल जनरल जिनका समझते हैं कि वे जाने के लायक हैं वे ही आएंगे या जो खुद आना चाहते हों, उनको लाएं। यह ज़िद की बात नहीं होनी चाहिये कि जिन को काउंसिल जनरल चाहें लाना वही सिर्फ आ सकते हैं। इस शर्त को आप न रखें। जो भी हैं उन सब को लाएं। यह जाहिर बात है कि वहां कोई भी रहना नहीं चाहेगा। आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी मौत के मुंह में रहना नहीं चाहेगा। वहां बमबारी

हो रही है। वे होम सिक भी फील कर रहे हैं। फंसे हुए हैं। इसकी सीरियसनेस को आप समझें। हर कीमत पर आप उन को निकालें। वैसल वालों के साथ सख्ती करनी पड़े तो वह भी करें। खुद अपने पास से पैसा देना पड़े तो वह भी करें। वैसलज को छोड़ना पड़े तब भी आप उनको निकालें। जहाज वापिस लाने वाली बात आप छोड़ें। जो लोग से हुए हैं उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं यह आप बताएं।

: شری رشید مسعود (سہارنپور)

محترم ڈیٹی اسٹیبلر صاحب - منسٹر صاحب کا بیان دیکھ کر انسوس بھی ہونا ہے اور تعجب بھی - تعجب اس بات کا ہے کہ شاید ہماری حکومت نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ جس طریقے کی انفارمیشن چلائی کر دی جائیگی اس کو اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا - ایسے علاوہ کوئی کوشش نہیں کی جائیگی کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے -

اس بیان کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں بہت سی باتوں سیلف کانٹریڈکٹری ہوں - ایک حصہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت مدد دی جا رہی ہے جو لڑک سات آٹھ سہیلے سے بصرہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور دوسرا پھر اگراف پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے چالو ہوئے تھے وہیں کے وہیں ہیں کوئی سدھار نہیں

ہوا ہے - اسکو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت ان لوگوں کی جان کے متعلق اتنی فکر مند نہیں ہے جتنی ویسل اونرس جو جہاز کے مالک ہیں انکے لئے فکر مند ہے تاکہ انکے جہاز تباہ نہ ہوں -

ایک بات قابل تعریف ہے اس کے لئے منسٹر صاحب کی تعریف کرنی ہوگی کہ جو جہاز کمپنیاں اپنی اون رسک پر جہاز نکالنا چاہتی تھی جس میں ہمارے آدمیوں کا بھی رسک تھا اس کے لئے انہیں اجازت نہیں دی گئی - لیکن ان جہاز مالکوں کی مدد کی جائے اور انکو یہاں سے لایا جائے اسکے بارے میں منسٹر صاحب نے کیا کیا - ہماری سرکار بلکوں کا نیشنلائزیشن تو کر سکتی ہے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے مارتوی کا نیشنلائزیشن تو کر سکتی ہے لیکن اسکے آدمیوں کی جان بچانے کے لئے ویسل اونرس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتی کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی - ابھی تو آپ صرف ریکوسٹ کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ان لوگوں کی برابر خبر رکھ رہے ہوں - پورٹیکشن ویلفیئر آف ہیومن کو کہا جا رہا ہے - ویلفیئر کیا ہو رہا ہے اسکا ایک اور ادھرن میں آپکے سامنے رکھنا چاہتا ہوں - ایک خط جو وہاں

کے لیڈر آف پیپلز نے اپنے مالک کو لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں - یہ ہندوستان ٹائمز ہے ۲۷ - مارچ کا اس میں لکھا ہے کہ -

"We are starving here and the danger of being bombed looms large over our heads."

یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل محفوظ ہیں انکو سبھی چیزوں دی جا رہی ہیں اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم فائقے کی حالت میں آ گئے ہوں - میں نہیں سمجھتا کہ دونوں میں سے کونسی چیز صحیح ہے - آپ صحیح کہتے ہیں یا یہ صحیح کہتے ہیں لیکن مجھے تجربہ ہے جب میں ۳-۲ بار باہر بھینچا گیا ہوں وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ایمپیسو ہے اسکی طرف سے ہمارے نیشنلس کو صحیح طور پر سے نہیں دیکھا جانا کوئی انٹریسٹ نہیں لیا جاتا - اس لئے مجھے یقین ہے کہ یہ خط زیادہ صحیح ہے یہ نسبت اس انفارمیشن نے جو کہ آپ کو سہلائی کی گئی ہے - لہذا آپ اس کو دیکھئے معاملہ یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں -

آپ نے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ آ گئے ہیں ریپیٹریٹ کر دیا گیا ہے اور تھوڑے سے رہ گئے ہیں -

"Some seamen of sailing vessels are still in the zone only."

[شبی رشید مسعود]

اس میں آپنے وہ سم ۴۴ ٹنڈ کا پریوگ کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ آگئے ہیں۔ آپ نے اوپر کے پورٹوگراف میں بتایا کہ ۸۱ آدمی آگئے ہیں ۲۸۳ میں سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ۸۶ آگئے ہیں شاید ۵ اور آگئے ہوں آپ کی جانکاری صحیح ہو لیکن میڈی جانکاری کے انوسار ۸۱ آدمی آئے ہیں۔ اگر ۲۸۳ میں سے ۸۶ آ ہی گئے ہوں تب بھی باقی تو پھلے ہوئے ہیں۔ وہ لبرگ تو جس حالت میں ہونگے لیکن انکے گھر والوں کی یہاں کہا حالت ہے اسکو آپ دیکھئے۔ یہاں ہم چل رہا ہے کہ سات مہینے سے ہم یہ بات چلا رہے ہیں ۷ اکتوبر سے یہ بات چل رہی ہے۔ کدلمے دن میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ چار سال میں پانچ سال میں یا چھ سال میں۔ جب تک یہ گورنمنٹ رہتی ہے تب تک کہا یہ حل ہو جائے گا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ جو بے چارے سفر کر رہے ہیں سائنکولوجیکل طور پر جو بے چارے ختم ہو گئے ہیں جن کے ذمے میں ہر رقت فکر لگا رہتا ہے اور جن کے گھر والے بھی پریشان رہتے

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے لوگ ہی پھلے ہوئے نہیں ہیں۔

ہمارا مطلب کسی دوسرے ملک والوں سے نہیں ہے۔ ان کے کتے شب ہیں اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی ہماری سب سے زیادہ اپنے یہاں کے لوگوں میں ہونی چاہئے۔ ویسلز کا کہا ہوتا ہے وہ ان کے مالک جانے۔ اس میں ہمیں پورے دھنا نہیں چاہئے کہ حالت نارمل ہو جائے اور ویسلز کے ساتھ وہ بھی آجائیں۔ ویسلز کا کچھ بھی ہو یہ ان کے مالک جانے۔ لیکن ان لوگوں کو لانے کے لئے آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں۔

آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے کونسل جنرل کو انسٹو کشاں دی ہوں کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو لائے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق ابی تک ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے۔ یہ چیز ۲۷ مارچ کے اس اخبار میں بھی چھپی ہے اور دوسرے اخباروں میں بھی چھپی ہے۔ اس میں بھی آپ نے یہ رکھا ہے کہ کونسل جنرل جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ جانے کے لائق ہیں وہ ہی آئیں یا جو خود آنا چاہتے ہوں ان کو لائیں۔ یہ ضد کی بات نہیں ہونی چاہئے کہ جن کو کونسل جنرل چاہیں لانا وہی صرف آسکتے ہوں۔ اس شرط کو آپ نہ رکھیں۔ جو بھی ہیں ان سب کو لائیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی بھی دھنا نہیں

"A large number of foreign ships have also been stranded."

चाहे गा - आप भी समझ सकते हैं
 कि कौन सी भी आदमी मृत के मलह
 में नहीं रहना चाहे गा - वहाँ
 हमारी हो रही है - वहाँ हम
 भी फल कर रहे हैं - पहलसे
 हैं - इस की सिरिस निस को
 आप समझें - हर किमत पर आप
 नकलें - विसल वालों के साथ
 करनी पड़े तो वहाँ भी
 अपने पास से पहलसे देना पड़े
 भी करी - विसल को चहोना पड़े
 तब भी आप न को लकानें -
 वापस लाने वाली बात आप
 जो लुक पहलसे होंगे वहाँ न को
 बचाने के लिये आप क्या कर रहे हैं
 ये आप बताएँ -]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे बयान
 पर ताज्जुब करने की कोई वजह नजर नहीं
 आती है। आनरेबल मैम्बर जैसे ही ताज्जुब
 करने को आदी हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार
 नहीं हूँ। साफ तौर से मैंने तादाद दी है—

श्री रशीद मसूद : अफसोस की बात है।

श्री रशीद मसूद : अफसोस की

बात है -

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अफसोस
 के लिए तो बिल्कुल मुकाम नहीं है।

198 लोगों के बारे में मैंने बताया है कि
 कुछ लाए गए हैं और कुछ लाए जा रहे हैं।
 उनका मसला हल हो गया। मैंने यह भी
 साफ कहा है कि जो आना चाहेंगे उनको
 लाने के लिए हमने यहाँ से अहकाम जारी कर
 दिए हैं। सवाल यह है कि वे आना चाहते
 हैं या नहीं? यह इतना आसान काम नहीं

है। इतना आसान सवाल नहीं है।
 वे वहाँ तनख्वाह पा रहे हैं। अपनी
 मुलाज्जमत छोड़ कर आना चाहेंगे?
 मुलाज्जमत उनको छोड़नी पड़ेगी? वहाँ वे
 रहना चाहेंगे? यह तभी मालूम हो सकता है
 जब हम कुछ उसकी जांच करें। ऐसा लगता
 है कि सभी लोग अपनी खादिश से आना नहीं
 चाहते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मामले
 में कितना सरकार से हो सकता है उस में वह
 कोई कसर उठा नहीं रखेगी और न उठा रखी
 गई है। हमने यह भी साफ कहा है कि जिस के
 पास पैसे आने के लिए न हो तो उसको
 अपने खर्चों से हम यहाँ ले आएंगे और इसके
 बाद पैसा को जहाँ से वसूल करना है कर लेंगे।
 यह सब कहा जा चुका है। मैं यह भी कहना
 चाहता हूँ कि कल यानी आठ तारीख को मैं
 खुद बगदाद जा रहा हूँ। मुझे इस मामले की
 पूरी जांच करने का मौका मिलेगा। मैं यकीन
 दिलाता हूँ कि जितने फौक्स हैं, वाकात हैं
 उनकी पूरी-पूरी मैं तहकीक करूँगा और जो
 भी आगे करना बाकी है—अगर कुछ हो—
 तो वह भी करवाने की कोशिश करूँगा।

SHRI RASHEED MASOOD: Sir, I
 walk out in protest against the firing
 on the farmers in Karnataka.

Shri Rasheed Masood then left the
 House.

KUMARI PUSHPA DEVI SINGH
 (Raigarh): Sir, I have gone through
 the Statement of the Minister and still
 some doubts prevail in my mind. So,
 I seek some clarifications from the
 Minister.

(1) What has the Government done
 to the families of these 402 crewmen
 who have got stranded in Iraq? What
 is the amount of relief that has been
 rendered to the stranded crewmen
 families?

(2) What is the guarantee of safety
 of vessels that are going to be left in
 Iraq?

[Kumari Pushpa Devi Singh]

(3) Six vessels were destroyed in the war which were owned by ordinary individuals whose only source of income for the whole family was from these vessels. What relief or compensation of facilities is the Government giving them for starting their trade again?

(4) Is the Government aware that after the month of April, it is not possible for these vessels to come out of the Gulf areas and be back in India? If so, when does the Government expect these vessels to leave the Gulf area? The six vessels which have got destroyed during the war are not covered by war insurance. Will the Government of India help these owners to get adequate compensation from the Iraq-Iran Government?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: In fact a question on this very subject is being answered by my colleague, the Minister for Shipping the day after tomorrow. Actually, that Ministry has been dealing with this matter. Maybe, in order to do equal justice to both the Ministries, this time, I have been asked to answer the Call Attention!

Sir, the point in so far as the External Affairs Ministry is concerned is that we have issued appropriate instructions to the person on the spot, namely, our Consul-General in Basrah.

I have already explained what has to be done with the vessels which have not been able to go out of Shatt-al-Arab and are stranded there. Unless one feels sure that the safety of the vessels and the safety of the crew is ensured, their clearance will not be easy. It should not be permitted. We have not permitted it. We have advised them against clearing of the vessels and sailing them out.

There is a long list of measures. For instance, it may be further clarified that under the M.S. (Distressed Seamen) Rules, 1960 extended to sailing vessels by the then Ministry of Transport and Communications Notification

No. 3144 dated 17.12.1960, all repatriation expenses in respect of distressed seamen are to be recovered from the owners or agents of the sailing vessels. In view of the above position and, since the D.G. Shipping has to separate funds for meeting the cost of repatriate of crew of sailing vessels stranded or lost at Basrah and FAO, D.G. Shipping had held a series of meetings with the President of All-India Sailing Vessels Industry Associations and owners/representatives of sailing vessels involved to consider problems regarding eventual repatriation of the crew of these sailing vessels. Thus, as I have said in the Statement, he has given instructions. The Consul-General could send the seamen at his own expenses and later on, it will be reimbursed in whatever manner that is possible. This is the position.

With regard to the lives of these people, as I have said, they are safe. We have got reports. For six or seven months they have been there and according to our information they have been looked after well. There is no reason to be worried. Naturally, their families here would be worried. That is understandable. But the position as we know, in regard to the well being of these people is as I have stated.

SHRI M. RAMAGOPAL REDDY: (Nizamabad) She has asked whether the ships were insured or not.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I do not know that. This is a question which the Ministry of Transport and Shipping should answer. I have not got the details. If the hon. Member wants, I can get all the details and send them on to him.

श्री राम दिवांस पासवान (हार्जिपुर):
उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि वे लोग स्वेच्छा से वहां हैं, और इसी बात के बारे में हम लोगों को खबर से ज्यादा शंका है। पिछले कुछ दिनों के अखबारों में साफ तौर से इंगित है कि रेडिफ वेलफेयर एमोसियेशन ने भारत सरकार को

पश लिख कर यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार उन्हें वापस लाने में अक्षम रही है, दूसरे, व लोग भूखमरी की स्थिति में हैं और तीसरे, डी जी, शिपिंग और विदेश मंत्रालय को कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

दिनांक 20 नवम्बर, 1980 के अनस्टाई क्वेश्चन नं० 464 के जवाब में मंत्री महोदय ने क्या कहा था, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। प्रश्न यह था :—

“(a) whether many ships which were stranded in Iraq and Iran border during the recent conflict were badly damaged;

(b) if so, the total number of Indian ships stranded and damaged;

(c) how many of their crew members were killed;

(d) how many of them have been released or are still under their possession;

(e) whether any compensation has been asked; and

(f) if so, the reaction of Government thereto?”

श्री पी० बी० नरसिंह राव : यह क्वेश्चन कब का है ?

श्री राम विलास पासवान : 20 नवम्बर, 1980 का। 26 फरवरी, 1981 का पूछे गए एक अनस्टाई क्वेश्चन का जो जवाब दिया गया, वह भी मैं अभी पढ़ कर सुनाऊंगा।

जवाब में (सी) और (डी) को क्लब कर दिया गया है और कहा गया है :—

“(c) & (d) No crew members on these vessels is reported killed. However one Indian cadet on board one of the ships is missing and no information is yet available about him.”

गवर्नमेंट के रीएक्शन के बारे में यह जवाब दिया गया है :—

(e) & (f) Damage to or loss of ships abandoned in war zone under stress or inescapable circumstances are covered by war risk insurance.”

26 फरवरी, 1981 का अनस्टाई क्वेश्चन नं० 1570 इस प्रकार है :—

“(a) the details of the Indian Vessels destroyed in Iran-Iraq conflict according to latest information; and

(b) the number of persons killed or missing?”

इस क्वेश्चन के जवाब में बताया गया है :—

“(a) The following six Indian sailing vessels are reported to have been destroyed:...

(b) No Indian personnel are reported killed. Only one Indian Cadet named Shri J. R. T. Anbu is missing.”

मंत्री महोदय ने कुबूल किया है कि छः भारतीय सैलिंग वेसल्स डेस्ट्राय हो गए।

विदेश मंत्रालय की 1980-81 की रिपोर्ट में कहा गया है :—

“बहुत से भारतीय समुद्री जहाज और जलयान शत-शत-शत में फंस गए। उनमें से 9 जलयान और जहाज या तो डूब गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकांश जहाजों और जलयानों के कर्मीदल के सदस्यों को भारत प्रत्यावर्तित कर दिया गया अथवा किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। सिर्फ थोड़े से कामचलाऊ अमलों को जहाजों पर रखा गया।”

मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो यह कहा है कि

[श्री राम विलास पासवान]

वहाँ पर वे लोग स्वेच्छा से हैं, मैं उसको गलत तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वह तथ्यों से परे हो सकता है। हमारे यहाँ नान-एलाइन्मेंट, गुट-निर्पेक्षता, की बात चल रही है, लेकिन हमने हमेशा यह देखा है कि भारत की गुट-निर्पेक्षता की जो थपूरी रही है, उसके मुताबिक हम कुछ खोते ही रहे हैं। भले ही हमारा नाम गुट-निर्पेक्ष देशों में हो, लेकिन नेशनल इन्ट्रस्ट्स के मामले में हमको कहीं न कहीं कमजोरी नज़र आती है। हमें डायट है कि कहीं यह मामला तो नहीं है कि इराक और ईरान के साथ हमारे जो सम्बन्ध हैं, उनमें तेल का जो स्थान है; हालाँकि तेल का आयात घट कर कितना हो गया है, यह हम सब को मालूम है—, उसके कारण हम झुक रहे हैं, अपने अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हैं और वहाँ पर फंसे हुए अपने आदमियों के बारे में जितने जोर से हमें बात कहनी चाहिए, वह नहीं कह रहे हैं।

मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय वहाँ जा रहे हैं, नान-एलाइन्ड देशों की टीम वहाँ जा रही है, और वहाँ पर इस मामले को रखा जाएगा। मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करूँगा कि जो नान-एलाइन्ड टीम वहाँ जा रही है, वह इस मामले को प्राथमिकता देगी। मंत्री महोदय को सदन को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह टीम इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और इसकी प्राथमिकता देगी।

यू एन ओ के सेक्रेटरी-जैनेरल ने कहा है कि उन्होंने अपील की, लेकिन उनकी अपील को इराक ने नहीं माना। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके बारे में उन्होंने अपील किया था और उन्होंने तो वहाँ तक कह दिया कि जो यू एन ओ का झंडा है उस झंडे को गाड़ करके दोनों देश यह समझें कि यह यू एन ओ का झंडा है और इसको निकाला जा सकता है लेकिन वह भी इराक के द्वारा नहीं माना गया।

तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं और जैसा कि माननीय सदस्या ने कम्पेन्सेशन का मामला उठाया, उसके अलावा और सारी चीजें हैं, एम्बेसी के रोल का जिक्र किया गया और ये जो छः पोत ध्वस्त हुए क्या उनमें आदमी नहीं थे? आदमी थे तो कितने थे? उसका कहीं हमारे सामने जिक्र नहीं आया। जो आदमी मिसिंग हो रहे हैं, उसके बारे में जो मंत्रीजी का जवाब 80 से लेकर आज तक चलता चला आ रहा है कि मिसिंग हैं तो कहां हैं, गिरफ्तार हैं या मारे गए हैं, कहीं न कहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी रहनी चाहिए, कब तक आप उनको खोज कर निकालेंगे? कब तक बताएंगे कि जो आदमी मिसिंग हैं वहाँ कहां हैं, किस अवस्था में हैं?

इसलिए यह बहुत ही गंभीर मामला है और अभी तो ब्रिटेन के साथ भी आपका मामला फंस सकता है जो ब्रिटिश नेशनलिटी का ऐक्ट वहाँ आ रहा है उसको लेकर। तो निश्चित रूप से मंत्री महोदय को इन सारे मामलों में जो विदेश से संबंधित मामला है, अपने स्टैंड को साफ करना चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी से चाहता हूँ कि जो मुद्दे मँने उठाए हैं, चाहे नान-एलाइन्ड टीम का मामला हो या मिसिंग आदमियों का मामला हो या 6 पोत जो ध्वस्त हुए हैं उनमें जो मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजे का मामला हो, इन सारी बातों को सरकार गंभीरतापूर्वक ले और सदन को इसके बारे में आश्वस्त करे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पहले तो मैं यह साफ कर दूँ कि जो हमारी टीम जा रही है वह इसके लिए नहीं जा रही है, किसी और काम के लिए जा रही है।

श्री राम विलास पासवान : आपकी नहीं, नान-इलाइन्ड टीम के लोग जा रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : तो मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि नान-इलाइन्ड कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो चार विदेश मंत्रियों को वहाँ जाने के लिए कहा गया

है उनमें मैं एक हूँ। मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैंने यह कहा कि संयोग से चंकि ये कल जा रहा हूँ तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर के बताऊंगा। यह मैंने कहा।

दूसरी बात यह है कि मेरे जितने वक्तव्य यहाँ दिए जा चुके हैं उनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। जो आदमी मिसिंग हैं उसको मिसिंग ही कहा जायगा, उसको मरा हुआ कभी नहीं कहते। एविडेंस ऐक्ट में तो यह है कि सात साल तक हम यह नहीं कह सकते। उसके बारे में कयास नहीं कर सकते कि वह मर गया। इसलिए मिसिंग जो है उसको मिसिंग ही कहना पड़ेगा जब तक कि हमारे पास यह सूचना न हो कि उसका देहान्त हो गया है क्योंकि कानूनी परिणाम उसके कुछ और होते हैं। इसलिए हमको सही सही तौर पर बात कहनी पड़ती है।

फिर इसके बाद...

श्री राम बिलास पासवान : उनको अंडर प्रोटेक्शन लाया जा सकता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उनको लाया जा सकता है। उसके बारे में हम यहाँ से हुक्म दे चुके हैं। यहाँ से अपने कॉन्सल-जनरल को कह चुके हैं कि अपने खर्च से उनको यहाँ भेज दीजिए। चुनावों 198 लोगों का इंतजाम हो चुका है और लोग जो आना चाहते हैं उनको भी भेज दिया जायगा। उसके बारे में कोई शंका की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम बिलास पासवान : 6 पंत जो ध्वस्त किए गए उसमें कितने आदमी मारे गए ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं, नहीं, उसमें नहीं हैं। उसके बारे में मैं वक्तव्य दे चुका हूँ।

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जो ने जो

उत्तर दिया वह तो ठीक ही है, मगर मैं उसमें कुछ और सुझाव दे रहा हूँ।

402 फंसे लोग जो खजूर लेने के लिए गए थे उनके बारे में सुना है कि खजूर आज तक सेलिंग वेसेल्स के अलावा और किसी तरह से भारत में आयात नहीं हो सकता। वह बड़े जहाज में नहीं आना चाहिए क्योंकि छोटे जहाज को महत्व देना चाहिए। इसके लिए शासन का ध्यान देना चाहिए।

दूसरे, 100 दीनार एक आदमी को फाइन होता है। ईराक गवर्नमेंट ने वह फाइन माफ कर दिया है लेकिन सेलिंग वेसेल्स का फाइन माफ नहीं किया है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

तीसरा यह है कि ये वेसेल्स पूरे जगत में फिरते रहते हैं। कब क्या हो जाय पता नहीं रहता। इस वास्ते इन वेसेल्स का और सीमेन का बीमा करने के बाद ही उनको समुद्र में उतरने की अनुमति देनी चाहिए। जब तक उनका बीमा न हो जाय उनको समुद्र में उतरने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि 402 फंसे हुए लोगों के परिवारों को आप क्या सहायता दे रहे हैं तथा उनको वहाँ से निकालने के लिए तत्परता के साथ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री पी० वी० गरसिंह राव : मैं कह चुका हूँ कि उनको वहाँ से लाने की तत्परता से कार्यवाही की जा रही है और की जायेगी।

माननीय सदस्य ने जो दूसरे सुझाव दिए हैं वह शिपिंग मिनिस्ट्री से संबन्धित हैं और मैं आशा करता हूँ कि उस मिनिस्ट्री में इन पर विचार होगा।